[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

PUBLIC WORKS DEPARTMENT
(IRRIGATION BRANCH)

Notification

The 7th December, 2012

No. S.O. 79/H.A. 29/1974/S. 65/2012.—The following draft of the rules further to amend the Haryana Canal and Drainage Rules, 1976 , which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 65 of the Haryana Canal and Drainage Act, 1974 (29 of 1974), is hereby publised for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of rules will be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of fifteen days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Irrigation Department, Chandigarh, from any person with respect to the draft of rules before the expiry of the period so specified.

Draft Rules

1. These rules may be called the Haryana Canal and Drainage (Amendment) Rules, 2012.

2. In the Haryana Canal and Drainage Rules, 1976 (hereinafter called the said rules), in rule 24, Sub-rule (1),—

(a) in the table, for the words "thirty times", wherever occurring, the words "twenty times" shall be substituted;

(b) for the first proviso the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that the Divisional Canal Officer may, after taking into consideration the facts of each case, impose lower charges which shall not be less than five times:".

3. In the said rules, in the "Schedule of Water Rates", in Part II, under heading "Other than irrigation purposes", in note 1,—

(i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;

(ii) the following proviso shall be inseated, namely:—

Provided that in case of the Haryana Government Departments and undertakings of the Haryana Government the surcharge shall be one per cent and if the, charge is not paid after lapse of one month from the last date of the payment of the bill, the surchage at the rate of 0.1 per cent per month on the balance amount shall be levied.".

K. K. JALAN,
Additional Chief Secretary to
Government Haryana,
Irrigation Department, Chandigarh.

50507—C.S.—H.G.P., Chd.

भाग - III

हरियाणा सरकार

लोक निर्माण विभाग

(सिंचाई शाखा)

अधिसूचना

दिनांक 7 दिसम्बर, 2012

संख्या का०आ० 79/ह०अ० 29/1974/धा० 65/2012.—हरियाणा नहर तथा जल निकास नियम, 1976 को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे हरियाणा नहर तथा जल निकास अधिनियम, 1974 (1974 का 29) की धारा 65 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, बनाने का प्रस्ताव करते हैं, यह उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् सरकार नियमों के प्रारूप पर ऐसे आक्षेपो या सुझावों सहित, यदि कोई हो, जो अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, सिंचाई विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा किसी व्यक्ति से नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जाएं, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. ये नियम हरियाणा नहर तथा जल निकास (संशोधन) नियम, 2012, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा नहर तथा जल निकास नियम, 1976 (जिसे, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 24 में, उप-नियम (1) में,—

(क) तालिका में, "तीस गुणा" शब्द जहाँ कहीं भी आएं के स्थान पर, "बीस गुणा" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(ख) प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु मण्डल नहर अधिकारी प्रत्येक मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद निम्नतर प्रभार अधिरोपित कर सकता है जो पाँच गुणा से कम नहीं होगा:"।

3. उक्त नियमों में, "जल दरों की अनुसूची" में, भाग-II में, "सिंचाई प्रयोजनों से भिन्न" शीर्ष के नीचे, टिप्पण 1 में,—

(i) "अंत में विद्यमान "1" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ii) निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

परन्तु हरियाणा के सरकारी विभागों तथा हरियाणा सरकार के उपक्रमों के मामले में अधिभार एक प्रतिशत होगा तथा यदि प्रभार बिल के भुगतान की अन्तिम तिथि से एक मास की समाप्ति के बाद भुगतान नहीं किया जाता है, तो बकाया राशि पर प्रति मास 0.1 प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा।"।

के० के० जालान,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
सिंचाई विभाग, चण्डीगढ़।